

FORM NO -III


फर्द-अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नागौर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा-मुख्यालय बाल समन्द नागौर जिला नागौर जसिये हरिश शर्मा जी.एम.		<ol style="list-style-type: none"> 1. अनीता पुत्री रामप्रसाद वैनीवाल 2. खुशवत पुत्र रामप्रसाद, 3. भीरा देवी पत्नी रामप्रसाद निवासीगण खसरा नम्बर 277/860 नाकोड़ा ऑयल मिल रोड के सामने बासनी रोड नागौर (राज0) 341001 4. मनोज परिहार पुत्र चम्पालाल नई कालोनी हास्पिटल रोड नागौर 5. मोतीलाल पुत्र जेटाराम निवासी राठौड़ी कुआ नागौर

किस्म मुकदमा -सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या 26 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख ने जारी हुए
25.01.22	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 02.02.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p> <p>2/2/22 प्रार्थी स्वयं उपरोक्त प्रार्थी ने बहस हेतु इन्वेल्टर चाहा जो दिनांक 9/2/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ जिला मजिस्ट्रेट नागौर</p>	
9/2/22	<p>प्रार्थी श्री हरीश शर्मा जी.एम. उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को हबूहू दोहराते हुए प्रकरण मोर्टगेज/हाईपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा नागौर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0 के ऋण की बकाया वसूली के संबंध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान लागू होने बाबत कोई ठोस प्रावधान प्रस्तुत नहीं किये है। "उक्त अधिनियम 2002 की धारा 2(1)(ग) "बैंक" से अभिप्रेत</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/2/22 (लगातर)	<p>है-(iv-क) बहुराज्य सहकारी बैंक, " प्रार्थी द्वारा, प्रार्थी बैंक बहुराज्य सहकारी बैंक होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (पीयूष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट, नागौर जिला मजिस्ट्रेट नागौर</p>	